भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2173
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निर्धारित लक्ष्य

†2173. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रत्येक उद्देश्य की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त नीति के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): वर्ष 2017 में तैयार की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर, उनकी लागत कम करके उन्हें वहनीय बनाना और समानता स्थापित करना शामिल है। नीति का लक्ष्य सभी विकासात्मक नीतियों में निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य परिचर्या उन्मुखीकरण के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य और आरोग्यता प्राप्त करना है, और अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि किसी को भी इसके परिणामस्वरूप वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।

केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरक बनाने हेतु कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब और कमजोर वर्गों के लिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त प्रगति का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचएम) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है, जिसमें एनएचपी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य भी शामिल हैं। यह निगरानी समीक्षा बैठकों, प्रमुख उपलब्धियों की मध्यावधि समीक्षा, वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण, सेवा प्रदायगी के लिए मानदंड स्थापित करके प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और उपलब्धियों को पुरस्कृत करने आदि के माध्यम से की जाती है। साथ ही, योजना के अंतर्गत प्रगति और कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

*****

अनुबंध

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य

एनएचपी 2017 में निर्धारित लक्ष्य	स्थिति
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 67.5 से बढ़ाकर 70 करना।	भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अनुमान 2019-23 की अवधि के लिए 70.3 वर्ष लगाया गया है (नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2019-23)।
राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को घटाकर 2.1 करना।	2.0 [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस - 5)]
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 2025 तक घटाकर 23 करना और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को वर्तमान स्तर से 2020 तक 100 करना।	पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) - प्रति हजार 29 (एसआरएस 2023) मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) - प्रति 1 लाख जीवित जन्म 88 (एसआरएस 2021-23)
शिशु मृत्यु दर को 2019 तक घटाकर 28 करना।	25 प्रति हजार (एसआरएस 2023)
नवजात मृत्यु दर को 2025 तक घटाकर 16 और मृत जन्म दर को "एकल अंक" तक लाना।	19 प्रति हजार (एसआरएस 2023)
2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक काला-अजार और 2017 तक स्थानिक क्षेत्रों में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन की स्थिति प्राप्त करना और उसे बनाए रखना।	काला-अज़ार - 2023 के अंत तक सभी 633 स्थानिक ब्लॉकों में उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। कुष्ठ रोग - भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन की स्थिति हासिल कर ली है और इसे बरकरार रखा है, यानी 2005 से अब तक प्रति 10,000 जनसंख्या पर प्रसार दर (पीआर) 1 से कम रही है।
टीबी के लिए नए बलगम पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की उपचार दर को प्राप्त करना और बनाए रखना तथा नए मामलों की घटनाओं को कम करना, ताकि 2025 तक उन्मूलन की स्थिति प्राप्त की जा सके।	टीबी की संक्रमण दर में 21% की गिरावट आई है (2015 में 237/लाख से घटकर 2024 में 187/लाख हो गई)। भारत में टीबी उपचार कवरेज पिछले नौ वर्षों में 39% बढ़ा है, जो 2015 में 53% से बढ़कर 2024 में 92% हो गया है।
वर्ष 2025 तक अंधता की व्यापकता को 0.25/1000 तक कम करना और वर्तमान स्तर से रोग भार को एक तिहाई तक कम करना।	अंधता की व्यापकता 2010 में 1% से घटकर 2019 में 0.36% हो गई है।

2025 तक प्रसव-पूर्व देखभाल कवरेज को 90% से ऊपर बनाए रखना तथा जन्म के समय कुशल उपस्थिति को 90% से ऊपर बनाए रखना।	प्रसव-पूर्व देखभाल कवरेज: 95.4% [स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस)] कुशल प्रसव: 98.8% (एचएमआईएस)
2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं का एक वर्ष की आयु तक पूर्ण टीकाकरण।	98% (वित्त वर्ष 2024-25)
2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 90% से अधिक परिवार नियोजन की आवश्यकता को पूरा करना।	> 90% (वित्त वर्ष 2024-25)
2020 तक तंबाकू के वर्तमान उपयोग की व्यापकता में 15% और 2025 तक 30% की सापेक्ष कमी।	28.6% [वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस-2) 2016-17]
2025 तक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता में 40% की कमी लाना।	35.5% (एन एफ एच एस - 5)
सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में मौजूदा 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना।	वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 1.84% था। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा 2021-22)

*****